22/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी ने अतिरिक्त गवाह पेश की। प्रतिवादी संख्या 5, 13, 19 तथा 21 की सामेरिक लिखित वकील के एक माह पश्चात हाजिर नहीं हुए। इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही/अपील में लाई जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में उपलब्ध पड़ी गवाही कराने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने सहमति व्यक्त की।

अतः प्रकरण में उपलब्ध पड़ी गवाही कि साक्ष्य लिपीपि संख्या 15 लिखा साक्ष्य शामिल पत्रावली किया जाना। विचारार्थ प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को लहरीत जारी हो। पत्रावली दिनांक 9/9/25 को पेश हो।

9/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी. ओ. महो. अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश है।

PP & FD अर्जी किये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 2, 4, 6 से 12 14 से 18

24/09/2025

पत्रावली परावली वकील उभयपक्षगण तहसीलदार धोड़ के विचारार्थ प्रस्ताव हेतु प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली वकील उभयपक्ष ने मुताबिक विचारार्थ प्रस्ताव वाद अनुसार विधि अनुसार निर्णय किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार धोड़ के विचारार्थ प्रस्ताव क्रमांक क्र.स./2025/1786 दिनांक 23/9/2025 प्राप्त हुआ। जिस पर वकील उभय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः वाद चाही मुताबिक विचारार्थ प्रस्ताव क्रमांक क्र.स./2025/1786 दि. 23/9/2025 के अनुसार अनुसार विधि अनुसार डिक्री किया जाना है मुताबिक विचारार्थ प्रस्ताव

सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर

शंकर बनाम प्यारसी देवी आदि

दावा 2025/255

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह
स्पष्ट पाया जाता है। पक्षकारों के
अधिवक्ता को सुना। अतः
नकल आवश्यक दाखिल पत्रावली

सहायक कलक्टर II
सीकर

दिनांक आज 06.24/09/25
को मेरे समक्ष उपस्थित के सुनाया गया।

सहायक कलक्टर II
सीकर

सहायक कलक्टर सीकर (राजस्थान)